न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 36/2017

निर्णय दिनांक– 22.12.2017

1:–निसार पुत्र गफुर खां जाति मुसलमान पठान निवासी गाडोली तहसील उनियारा जिला टोक

2– रईसा बानो बेवा गफुर खां जाति मुसलमान पठान निवासी गाडोली तहसील उनियारा जिला टोक

– प्रार्थी

बनाम

1:–तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री इकबाल अहमद, वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार प्रतिपक्षी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थीगण के पिता एव पति के खातेदारी एव कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1146 रकबा 2.03, ख0न0 1147 रकबा 2.10 कुल किता 2 रकबा 4.13 है0 वाके ग्राम गाडोली तहसील उनियारा जिला टोक मे है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है, उाके उपरान्त उक्त आराजीयात प्रार्थीगण व प्रार्थी के भाई व बच्चे मन्सूर, असलम व मेहबुब के नाम खातेदारी मे लग गई, जो उसका घर का नाम है एव वास्तविक नाम निसार है तथा इसी प्रकार प्रार्थीया न0 2 का वास्तविक नाम रईसा है तथा घर पर गफ्फो पुकारने के कारण राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे गलती से रईसा के स्थान पर गफ्फो दर्ज कर दिया गया है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि मे प्रार्थी न0 1 का नाम निसार पुत्र गफुरखां एव प्रार्थीया न0 2 का नाम रईसा बानो बेवा गफुर खां दर्ज है, परन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे गलत से प्रार्थी न0 1 का नाम कालु पुत्र गफुर खां एव प्रार्थीया न0 2 का नाम गफ्फो पत्नी गफुर खां दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीगण को उक्त आराजी पर काफी परेशानी हो रही है। अतः राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायाहित मे उचित एवं आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी अधिवक्ता व तहसीलदार उनियारा कि और से सरकारी पेरोकार उपस्थित। सरकारी पेरोकार ने अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी न0 1 का नाम कालु के स्थान पर निसार, प्रार्थी न0 2 गफ्फो का नाम रईसा बानो अंकित कर दिया जावे, जिसमे प्रतिपक्षी को कोई आपत्ति नही है।

विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का दोहरान करते हुए जाहिर किया कि राजस्व जमाबन्दी खाता संख्या 71 कुल किता 2 रकबा 4.13 है0 ग्राम गाडोली तह0 उनियारा में प्रार्थी न0 1 का नाम कालु के स्थान पर निसार, प्रार्थी न0 2 गफ्फो का नाम रईसा बानो अंकित कर दिया जावे। समस्त दस्तावेजात जैसे ग्राम पंचायत खातोली का पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि कि प्रतिया प्रस्तुत कि गई।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण मे दिये गये जवाब व बहस का मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझता है। अतः तहसीलदार उनियारा को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 71 कुल किता 2 रकबा 4.13 है0 गाडोली तह0 उनियारा में प्रार्थी न0 1 का नाम कालु पुत्र गफुर खां के स्थान पर निसार पुत्र गफुर खां तथा प्रार्थी न0 2 का नाम गफ्फो बेवा गफुर खां के स्थान पर रईसा बानो बेवा गफुर खां कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करवाया जावे। तत् पश्चायत् राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

पत्रवावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । पत्रावली दफतर दाखिल किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner